

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

क्रमांक: बं.शा./जयपुर/26/2019/पार्ट-2/32700-35

दिनांक :- 29/8/2019

अधीक्षक/उप अधीक्षक,
केन्द्रीय/जिला कारागृह/महिला बन्दी सुधारण्ट,
राजस्थान।

विषय:- बंदियों के खुला शिविर प्रकरणों पर लिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में आपकी कारागृह से प्राप्त बंदियों के खुला शिविर प्रकरणों पर दिनांक 11, 12 एवं 15.04.2019, 24.05.2019 तथा 30.07.2019 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में विचार कर संदर्भित दिनांक (31.12.2018) तक 07 वर्ष 05 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार पूर्ण कर चुके बंदियों के प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किया जाकर कार्यवाही विवरण विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जा चुका है/किया जा रहा है।

अतः बंदी खुला शिविर समिति द्वारा बंदियों के प्रकरणों पर लिये गये निर्णय से बंदियों को अवगत कराने का श्रम करावें।

भवदीय

—SJ

(विक्रम सिंह)

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि:- प्रभारी कम्प्यूटर सेल, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को दिनांक 24.05.2019 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न किया जा रहा है, जिसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

Bush 29.8.19
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर।

